

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
 (आप.प्रक.क्रमांक :- 2265 / 2014)  
 (संस्थित दिनांक :- 22 / 12 / 2014)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

### // विरुद्ध //

01. अशोक जाटव पुत्र बाबूराम जाटव, उम्र 42 वर्ष।
02. जितेन्द्र जाटव पुत्र पारथ सिंह जाटव, उम्र 24 वर्ष।  
 निवासीगण :- ग्राम कड़ोरे का पुरा, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।  
 ..... अभियुक्तगण।

### // निर्णय //

( आज दिनांक :- 11 / 11 / 2017 को घोषित )

01. अभियुक्त अशोक पर भा.द.सं. की धारा 294, 324, 323/34 एवं 506 भाग II एवं अभियुक्त जितेन्द्र पर धारा 324/34, 323 "02 काउण्ट" एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 16 / 11 / 2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे फरियादी प्रभात के घर के सामने कड़ोरे का पुरा गोहद में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी प्रभात को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी प्रभात एवं आहत प्रमोद की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अशोक ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी प्रभात को एवं अभियुक्त जितेन्द्र ने लात-घूसों से फरियादी प्रभात तथा आहत प्रमोद की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी प्रमोद को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 16 / 11 / 2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे फरियादी प्रभात के घर के सामने कड़ोरे का पुरा गोहद में, आरोपीगण द्वारा फरियादी प्रभात से गाली-गलौच करने, उसकी एवं उसके भाई प्रमोद की कुल्हाड़ी एवं लात-घूसों से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी प्रभात कुमार जाटव द्वारा उसी दिनांक को थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपीगण अशोक एवं जितेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्रमांक 380 / 2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं.

पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी जितेन्द्र जाटव से एक बांस की लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी प्रभात कुमार, आहत/साक्षी प्रमोद, राजेन्द्र कुमार एवं श्रीमती सुनीता के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण अशोक के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 294, 324, 323/34 एवं 506 भाग II एवं अभियुक्त जितेन्द्र पर धारा 324/34, 323 "02 काउण्ट" एवं 506 भाग II भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त अशोक को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II एवं अभियुक्त जितेन्द्र को धारा 323 "02 काउण्ट" एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को झूठा फंसाया जाना एवं निर्दोष होना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी अशोक ने दिनांक :- 16/11/2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे फरियादी प्रभात के घर के सामने कड़ोरे का पुरा गोहद में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी प्रभात की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अशोक ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी प्रभात की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

### **सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**

07. फरियादी प्रभात अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है, आरोपीगण उसके गांव के है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/07/2015 से लगभग दो-चार महीने पूर्व की होकर सुबह 07-08 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसके खेत पर पानी देने के लिए ट्यूबवैल चल रहा था, तो उसने आरोपीगण से कहा कि पानी देना हो तो दे दो तो आरोपीगण गाली देने लगे। आरोपीगण मादरचोद-बहिनचोद की गाली देने लगे। फिर आरोपी अशोक एवं जितेन्द्र ने उसकी मारपीट की, जो चप्पलों एवं लाठियों से मारा था। साक्षी आगे कहता है कि उसने इस संबंध में थाना पर रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.01 है। आरोपी अशोक ने उसे कुल्हाड़ी मारी थी और आरोपी जितेन्द्र ने उसके लाठी मारी

थी, जो उसके बाये पैर की पिण्डली में लगी थी, फिर उसके पिता जी आ गये थे, जिन्होंने बीच-बचाव कराया, फिर उसने रिपोर्ट की थी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने उसने पुलिस कथन प्र.पी.03 का ए से ए भाग एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 का बी से बी भाग पुलिस को देना व्यक्त किया।

08. फरियादी प्रभात अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/07/2015 से करीब दो-चार माह पहले की अर्थात् लगभग मार्च 2015 की सुबह 07-08 बजे की है। जबकि स्वयं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अनुसार घटना दिनांक : 16/11/2014 की सुबह 09:30 बजे की है। इस प्रकार घटना की दिनांक एवं समय के संबंध में फरियादी प्रभात अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

09. इसी प्रकार फरियादी प्रभात अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार घटना उसके खेत की है, जिस समय खेत में पानी दिया जा रहा है। जबकि स्वयं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अनुसार घटना प्रभात अ.सा.01 के घर के सामने की है, जब वह अपने घर के बाहर धूप में बैठा हुआ था। इस प्रकार घटना के स्थान के संबंध में फरियादी प्रभात अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. आहत प्रमोद कुमार अ.सा.02, राजेन्द्र सिंह अ.सा.03 एवं सुनीता अ.सा.04 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी अशोक द्वारा दिनांक :- 16/11/2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे फरियादी प्रभात के घर के सामने कड़ोरे का पुरा गोहद में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी प्रभात की धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। विवेचना के दौरान आरोपित घटना में कथित रूप से प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी जब्त नहीं की गई।

11. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत प्रभात अ.सा.01 एवं आहत प्रमोद अ.सा.02 के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और प्रमोद अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है। उक्त राजीनामे के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विवेचक हिम्मत सिंह अ.सा.05, प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक बलवंत सिंह अ.सा.06 एवं डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की विवेचना नहीं की जा रही है।

12. आरोपीगण एवं फरियादी प्रभात अ.सा.01 एवं आहत प्रमोद कुमार अ.सा. 02 के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और आहत/साक्षी प्रमोद कुमार अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

13. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी अशोक ने दिनांक : 16/11/2014 को सुबह लगभग 09:30 बजे फरियादी प्रभात के घर के सामने कड़ोरे का पुरा गोहद में, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी प्रभात की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त अशोक ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी प्रभात की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

14. अभियोजन आरोपीगण अशोक एवं जितेन्द्र के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

15. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

16. प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र से जब्तशुदा बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद